

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./129/2014

दर्ज दिनांक:-27.11.2014

1. भूरीसिंह पता—प्रार्थी
बनाम
2. प्रेमसिंह पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भूपत कुमार जैन

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षों के मध्य वाय ग्रस्त आराजी के स्वामित्व व कब्जे को लेकर विवाद है। उभयपक्षों के मध्य वाद बहुलता न बढे व क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि उभयपक्षों को ताफैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जावे।

अतः आज्ञा है कि उभयपक्षकारों को ताफैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखें। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

